तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./4870/2013/जयपुर राजस्थान सरकार बनाम मूलाराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-6-2023	**<u>एकल पीठ</u>** **डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, सदस्य** **<u>उपस्थित–</u>** श्री शौकिन्द लाल गुर्जर उप–राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित, एकतरफा कार्यवाही। –––– **<u>निर्णय</u>** यह रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपुतली जिला जयपुर ने प्रकरण संख्या 297/2012 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 16–4–2013 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, विराटनगर ने धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपुतली जिला जयपुर के समक्ष रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम भगतपुरा तहसील विरोटनगर की खतौनी बंदोबस्त संवत 2012 से 2027 में साबिक खसरा नंबर 33 की भूमि की किस्म खातली दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि के हाल खसरा नंबर 78 बनाये गये है तथा हाल जमाबंदी में 2064 से 2067 तथा जमाबंदी संवत 2068 से 2071 में हाल खसरा नंबर 78 रकबा 0.66 भूमि की किस्म बारानी–1 के रूप में मूलाराम पुत्र श्योसहाय, परसादी, कुशलाराम पिसरान गोमा, धूडाराम पुत्र श्योनारायण महादेव प्रसाद पुत्र भूरा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड की गई है, जो उचित नहीं है। 3– यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म परिवर्तन कर उक्त आराजी **आवंटी/ विपक्षी** के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि को **खातली** के रूप में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./4870/2013/जयपुर राजस्थान सरकार बनाम मूलाराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है। 4– अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये, किन्तु न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अतः विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। 5– विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पूर्व में विवादग्रस्त आराजी **खातली** सिवायचक के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उन्होंने कहा कि नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, जोहड़, पायतन आदि किस्म की भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना है। अन्त में उन्होंने विवादित आराजी के संबंध में **अप्रार्थीगण** के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज को निरस्त कर आराजी को राजस्व रेकार्ड में पूर्ववर्ती **गै.मु. खातली** दर्ज करने का निवेदन किया। 6– हमने विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7– पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी बंदोबस्त (जमाबन्दी) संवत 2012 से 2027 में साबिक खसरा नंबर 33 भूमि की किस्म खातली सिवाायचक दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नंबर 33 रकबा निल का हाल खसरा नंबर 78 रकबा 0.66 अंकित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश हाल खसरा नंबर 78 की 0.66 की भूमि जमाबंदी संवत 2064 से 2067 व 2068 से 2071 में मूला पुत्र श्योसहाय हि. 1/4 परसादी, कुशला पि. गोमा हि.ब.हि. 1/2 धूड़ा पुत्र श्योनारायण महादेव पुत्र भूरा हि. 1/4 कौम अहीर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जो कि विधि के विपरीत किया गया इन्द्राज है। 8– राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार **''गै0मु0 खातली''** किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./4870/2013/जयपुर राजस्थान सरकार बनाम मूलाराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः–

> **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-
> (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

9- इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

> **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-**
> Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-
> (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

10- प्रश्नगत भूमि पूर्व में **गै.मु. खातली** की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः–

> All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.

11- उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में **अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपुतली जिला जयपुर** द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है। रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./4870/2013/जयपुर राजस्थान सरकार बनाम मूलाराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12– फलतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भरतपुरा तहसील विराटनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 78 रकबा 0.66 हैक्टेयर के अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज समस्त राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राजात को निरस्त किया जाता है तथा विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2012–2027 के अनुसार वापिस उसके मूल स्वरुप किस्म **"गै0मु0खातली** राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। 13– निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कार्यालय की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)** **सदस्य**	